FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

नत्थासिंह बनाम सरजीतसिंह वगै0

किस्म मुकदमा :—प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 29/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
23.12.25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं0 01 जवाब शामिल मिसल हो चुका है। प्रार्थी अधिवक्ता ने फॉर्म सं0 3 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल मिसल किये गए। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि उक्त वादगत भूमि का हक—हिस्सा निहित है इसलिए खाता विभाजन कर दिया जाए एवं बिना खाता विभाजन किये स्थगन नहीं होने की स्थिति में अप्रार्थी भूमि को आगे बेचान कर देगें जिससे और अधिक वाद—विवाद बढ़ेगें। अतः वाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई फरमाई जावे। अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादगत भूमि स्थगन की आड़ में प्रार्थी तंग परेषान करता है। वादगत भूमि में अप्रार्थी सं0 1 का हक—हिस्सा निहित है इसलिए प्रार्थी को स्थगन लेने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थी को न्यायालय में वाद लाने का वाद हैतुक ही प्राप्त नहीं था। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन मूल बिन्दू/शर्त है कि प्रथमदृष्ट्या मामला, अपूर्णनीय क्षति, सुविधा का संतुलन है उक्त तीनों ही शर्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू को साबित करने में असफल रहे है। अतः यह पत्रावली/प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं दिनांक 28.11.25 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 23.12.25 सरे इजलास सुनाया गया।	